राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

मानवाधिकार विषय पर दो दिवसीय एड़वांस लेवल प्रशिक्षण कार्यक्रम

14-15 फरवरी 2017

राष्ट्रीय मानवाधिकार (NHRC) आयोग के सौजन्य से राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 14-15 फरवरी 2017 को मानवाधिक विषय पर दो दिन का एड़वांस लेवल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में सम्पूर्ण राजस्थान से पुलिस निरीक्षक स्तर के कुल 45 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री एन.के. जैन सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं पूर्व अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताते हुए इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों एवं वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की स्थिति का एक तुलनात्मक परिदृश्य प्रस्तुत किया।

दूसरे सत्र में श्री सौरभ श्रीवास्तव, आई.पी.एस., अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस पुनर्गठन ने मानवाधिकार के परिपेक्ष्य में पुलिस अधिकारियों को कानूनी दायरे में रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की आवश्यकता को स्पष्ट किया। उन्होने राष्ट्रीय तथा राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यो तथा उनकी पुलिस से अपेक्षाओं के संबंध में भी अपने विचार रखे।

तीसरे सत्र में श्रीमती अनुकृति उज्जेनियां, सहायक निदेशक, सी.डी.पी.एस.एम., आर.पी.ए. ने महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों एवं इनके संरक्षण के संबंध में पुलिस की भूमिका के संबंध में जानकारी दी। इस क्रम में उन्होने महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित कानूनों यथा पोक्सो एक्ट, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के बारे में एवं कानूनी प्रावधानों से प्रतिभागियों को अवगत कराया।

अन्तिम सत्र में श्री आर.के. सक्सेना, सेवानिवृत्त आई.जी. (जेल सेवा) ने जेल मेन्युअल की जानकारी देते हुए बन्दियों के अधिकारों तथा उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी।

दूसरे दिन के प्रथम सत्र में श्री प्रकाश टाटिया, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार, राजस्थान ने मानवाधिकार को सभी कानूनों से ऊपर होना बताया। श्री टाटिया ने इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों को मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आवह्न किया। उन्होने कहा कि मानवता की भावना मानवाधिकारों के संरक्षण की नींव है।

दूसरे सत्र में श्रीमती लाड कुमारी जैन, भूतपूर्व अध्यक्ष राज्य महिला आयोग, राजस्थान ने महिलाओं की घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न तथा महिला अत्याचारों के संबंध में विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी दी।

तीसरे सत्र में श्री एम.एम. अत्रे सेवानिवृत्त आईजीपी ने पुलिस हिरासत, गिरफ्तारी के सामान्य प्रावधानों के बारे में बताते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार के द्वारा जारी गाइड लाईन के बारे में जानकारी दी साथ ही उन्होने गिरफ्तारी तथा कस्टडी के दौरान एक पुलिस अधिकारी के दायित्वों तथा इनसे संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया।

दूसरे दिन के अन्तिम सत्र में श्री एम.के. देवराजन, पूर्व डीजीपी एवं पूर्व सदस्य राज्य मानवाधिकार आयोग ने पुलिस को मानवाधिकार के संदर्भ में जनता की पुलिस से अपेक्षाओं एवं पुलिस कार्य प्रणाली में मानवाधिकारों की भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

कोर्स प्रभारी श्रीमती अनुकृति उज्जेनियां सहायक निदेशक, सी.डी.पी.एस.एम. एवं सहायक कोर्स प्रभारी श्री धीरज वर्मा पुलिस निरीक्षक आरपीए ने सभी वक्ताओं का स्वागत किया उनके सत्र के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।